



2026:AHC:5096

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17103 वर्ष 2025

धीर बहादुर सिंह और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : राहुल पांडेय , रंग नाथ पांडेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025 के संदर्भ में

1. इस संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 15.11.2025 के आदेश के पैराग्राफ 3 और 5 में "मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़" शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर "प्रधान, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, आजमगढ़" शब्द प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

2. तदनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)